



Telephone : 044 – 28889333, 28415702
E-Mail : investor@iobnet.co.in

इण्डियन ओवरसीज बैंक

केंद्रीय कार्यालय- पोस्ट बॉक्स सं 3765, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office: P.B.No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

Investor Relations Cell

IRC/ 22 /2021-22

19.04.2021

The Senior General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P J Towers, Dalal Street
Mumbai – 400 001

The Vice President
National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza", C-1, Block G
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Dear Sir/Madam,

**Extraordinary General Meeting (EGM) to be held on 12.05.2021 through VC/OAVM
for Issue of Equity Shares to Government of India (GOI) on Preferential Basis**

We refer our letter ref. IRC/19/2021-22 dated 12.04.2021 informing that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of our Bank will be held on 12th May 2021.

In this connection, the Bank has fixed 5th May, 2021 as cut-off date. The Remote e-voting period commences on 9th May, 2021 at 9:00 A.M. (IST) and ends on 11th May, 2021 at 5 P.M. (IST).

We enclose the soft copy of Notice for Extraordinary General Meeting to be held on 12th May 2021 for your reference and uploading the same on your website.

Please take the above information on record.

Thanking you,

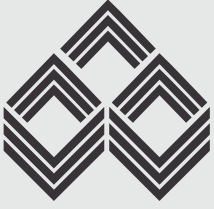
Yours faithfully,

S Nandakumar
19/04/2021

S Nandakumaran
DGM & Company Secretary

✓





www.iob.in

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Good People to grow with



**असाधारण सामान्य बैठक
के लिए सूचना**

12 मई 2021, चेन्नै

**Notice for
Extraordinary General Meeting**

12th May 2021, Chennai



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

शेयरधारकों को नोटिस

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयरों व बैठकों) विनियमन 2003 (2008 तक यथासंशोधित) के विनियमन 57 के अनुसार एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि **बुधवार, दिनांक 12 मई 2021 को सुबह 11.30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य श्रव्य दृश्य (ओएवीएम) के माध्यम से शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक** का आयोजन निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने हेतु किया जाएगा:

1. निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उचित समझे जाने पर **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयरों और बैठकों) विनियम 2003, 2008 तक यथा संशोधित (**विनियमन**), के अनुसरण में और इस संबंध में यथा अपेक्षित भारतीय रिज़र्व बैंक (**आरबीआई**), भारत सरकार (**जीओआई**), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (**सेबी**), और / या किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी, यदि कोई हो तो उसकी शर्त पर और उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों को प्रदान करने में निर्धारित किए गए नियमों, शर्तों और उनके संशोधनों के अधीन जिससे बैंक का निदेशक बोर्ड सहमत हो और विनियमों जैसे सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2018 सेबी (**आइ सी डी आर विनियम**) आज की तिथि तक यथा संशोधित सेबी (शेयरों व टेकओवर्स के पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमन 2011 (**एसएसटी विनियमन**), आज की तिथि तक यथा संशोधित, दिशानिर्देशों यदि कोई भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (**बीआर अधिनियम**) के तहत अधिसूचनाओं / परिपत्रों व स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (**सेबी अधिनियम**) एवं समय-समय पर जारी अन्य सभी लागू कानूनों और अन्य सभी उपयुक्त प्राधिकरणों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के अधीन है, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं तथा विनियमनों के विनियमन 4ए के प्रावधान के अनुसार है, बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति को बैंक के निदेशक बोर्ड (आगे से जिसे “**बोर्ड**” कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या भविष्य में जिसका गठन किया जाएगा ताकि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके जिसमें इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकार भी शामिल हैं) की सहमति एतद्वारा दी जाती है कि वो भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को सेबी (आइसीडीआर) विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसरण में बोर्ड द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार अधिमानी आधार पर रुपए 16.63 प्रति इक्विटी शेयर (रुपए 6.63 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम दर पर नकद के बदले रुपए 10 प्रति शेयर (रुपए दस मात्र) के हिसाब से रुपए 4100 करोड़ (रु. चार हजार एक सौ करोड़ मात्र) के 246,54,23,932 (दो सौ छियालिस करोड़ चौवन लाख तेईस हजार नौ सौ

INDIAN OVERSEAS BANK

Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 57 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) that an **Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank** will be held on **Wednesday, the 12th May, 2021 at 11.30 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

1. To consider and if thought fit to pass the following resolution as a **Special Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**Act**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 (**Regulations**) and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of Reserve Bank of India (**RBI**), Government of India (**GOI**), Securities and Exchange Board of India (**SEBI**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**ICDR Regulations**) as amended up to date, SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (**SAST Regulations**) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under Banking Regulation Act, 1949 (**B R Act**), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**LODR Regulations**), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (**SEBI Act**) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “**the Board**” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to 246,54,23,932 (Two Hundred and Forty Six Crores Fifty Four Lakhs Twenty Three Thousand Nine Hundred and Thirty Two) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs. 16.63 per equity share (including premium of Rs. 6.63 per equity share) aggregating to Rs. 4100 crore (Rupees Four Thousand One Hundred Crores only) as determined by the Board in accordance with Regulation



बत्तीस मात्र) ईक्विटी शेयरों को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित करे।”

“इसके अतिरिक्त संकल्प लिया जाता है कि सेबी (आइसीडीआर) विनियमन 2018 के अध्याय V के अंतर्गत आने वाले विनियम 161 के अनुसार निर्गम मूल्य निर्धारित करने की प्रासंगिक तिथि 12 अप्रैल 2021 है।”

“इसके अतिरिक्त संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और अधिकार होगा कि वह बोर्ड की सहमति के अनुरूप निर्गमन, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुमतियों और मान्यता/मंजूरी देते समय भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारी की अपेक्षा या अधिरोपण के आधार पर प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करे।”

“इसके अतिरिक्त संकल्प लिया जाता है कि जारी किए जाने वाले कथित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समरूप स्तर के होंगे और वे ऐसी घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश यदि कोई हो, के पात्र होंगे।”

“इसके अतिरिक्त बोर्ड को स्टॉक एक्सचेंज के साथ शामिल एकरूप सूचीबद्ध करार के निबंधन व शर्तों व अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के तहत आबंटित ईक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।”

“इसके अतिरिक्त संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए कि वह अपने विवेकाधिकार के तहत आवश्यक समुचित व वांछनीय कार्रवाई, करार, मामले और कार्य निपटा सके और ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के समय उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, समस्याओं या संदेहों को निपटा सके और साथ ही ऐसे सभी मामलों व कार्यों को अंतिम रूप दे सके और उसके विधिवत विवेकाधिकार के तहत उचित व आवश्यक, वांछित व दस्तावेजों व लेखन कार्य का निपटान करें जो उनके विवेकाधिकार के अनुरूप उचित, वांछनीय हों तथा जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता न हो। ऐसा समझा जाए कि इस संकल्प के द्वारा शेयरधारकों से उन्हें प्रदत्त प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त अनुमोदन प्राप्त हो गया हो।”

“इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया गया है कि बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशकों या किसी अन्य अधिकारी को इसमें प्रदत्त सभी या कुछ अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

-हस्ताक्षर/-

(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 17.04.2021

164(1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 on preferential basis to Government of India (President of India).”

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date in terms of Regulation 161 under Chapter V of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 for determination of the Issue Price is Monday, 12th April, 2021.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by GOI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions for issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-Sd/-

(Partha Pratim Sengupta)
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date : 17.04.2021



नोट्स

- क. कोविड -19 महामारी के मद्देनज़र , एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, संख्या 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, संख्या 33/2020 दिनांकित सितंबर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित दिसंबर 31, 2020 एवं सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 के माध्यम से कंपनियों को जून 30, 2021 की अवधि तक शेयरधारकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है । सेबी (सूचीबद्ध बाधताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है । अतः शेयरधारक ईजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही प्रतिभागिता कर सकते हैं ।

बैंक ने **केंद्रीय डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को ईजीएम हेतु वीसी/ ओएवीएम सुविधा प्रदान करने और ईजीएम के आयोजन करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है ।

सेबी एवं एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में ईजीएम नोटिस की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं । शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि यह नोटिस बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर अपलोड किया गया है । नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों यानि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com से प्राप्त किया जा सकता है एवं ईजीएम नोटिस सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है ।

- भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक ईजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु <https://investors.cameoindia.com> लिंक पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं । बैठक का आयोजन 763, अण्णा सालू, चेन्नै -600002 में स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में किया जाएगा ।

ग. व्याख्यात्मक विवरण :

बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है ।

घ. मताधिकार :

अधिनियम की धारा 2 के उपखंड 3ई के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा समवर्ती नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपनी कितनी

भी शेयरधारिता के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे ।

निर्धारित की गई अंतिम तिथि बुधवार, दिनांक 05 मई 2021 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ईजीएम में प्रतिभागिता के लिए पात्र होंगे । भौतिक अथवा अमूर्त रूप में शेयरों को धारण करने वाले बैंक के शेयरधारक अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं ।

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार मतदान के संबंध में किसी भी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम पंजी में पहले दर्ज होगा उसे ही मूल धारक समझा जाएगा । अतः शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर होने की स्थिति में केवल पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और केवल वह ही दूसरस्थ माध्यम से कार्यसूची पर या तो ई-वोटिंग अथवा ईजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा ।

ड. दूरस्थ ई-वोटिंग

सेबी विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 (एलओडीआर) एवं एमसीसी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, सं 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020 एवं परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित सितंबर 28, 2020 एवं परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित दिसंबर 31, 2020 तथा सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 एवं परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 दिनांकित जनवरी 15, 2021 का संदर्भ लेते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के साथ एकीकृत सूचीबद्ध समझौते के अनुसार बैंक ने नोटिस में वर्णित मद पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए ने **केंद्रीय डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है । रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है । शेयरधारकों / लाभार्थियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में ही उनके मताधिकारों को गणना के लिए बुधवार दिनांक मई 05, 2021 को अंतिम के रूप में लिया जाएगा । बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रूप में हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाल सकते हैं । बैंक ने मेसर्स आर. श्रीधरन एवं एसोसिएट्स के श्री आर. श्रीधरन, कंपनी सचिव (एफसीएस सं. 4775) (सीपी. सं. 3239) को रिमोट वोटिंग प्रक्रिया तथा ईजीएम के दिन ई-वोटिंग प्रक्रिया सही एवं निष्पक्ष रूप में आयोजित करने के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है ।

- ई-ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में जुड़ने एवं ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं अनुदेश:

1. रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:

- रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, दिनांक मई 09, 2021 को सुबह 09.00 (आईएसटी) बजे से शुरू होगी और मंगलवार, दिनांक मई 11, 2021 को सायं 05.00 बजे (आईएसटी) को समाप्त होगी । इस अवधि



NOTES

- a) In view of the continuing Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79 dated 12th May, 2020 & circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 permitted companies to hold their EGM through VC/OAVM for period upto June 30, 2021 without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the Bank is holding the Extraordinary General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the EGM through VC/OAVM only.

The Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** to provide VC/OAVM facility for the EGM and as the attendant enablers for conducting of the EGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of EGM is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholder may note that Notice has been uploaded on the website of the Bank at www.iob.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and the EGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

- b) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link <https://investors.cameoindia.com> to get the soft copy of the Notice of EGM. The Central office of the Bank at no. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

c) EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

d) VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2-E) of Section 3 of the Act, **no shareholder** of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in

excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.**

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Wednesday, 05th May, 2021 being the Cut-off Date** will be eligible to participate in EGM for the said purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to cast vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the EGM.

e) REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and MCA circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79 dated 12th May, 2020 & circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. Remote E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Wednesday, May 05, 2021 being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the EGM in a fair and transparent manner.

f) PROCEDURE & INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING, JOINING THE EGM THROUGH VC/ OAVM AND FOR E-VOTING DURING E-EGM:

1. THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

- (i) The remote e-voting period begins on Sunday,



के दौरान निर्धारित की गई अंतिम तिथि बुधवार, दिनांक 05 मई 2021 तक भौतिक अथवा अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

- (ii) ऐसे शेयरधारक जो बैठक तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे इस बैठक में मतदान के हकदार नहीं होंगे।
- (iii) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगऑन करना चाहिए।
- (iv) शेयरधारक माँड्यूल पर क्लिक करें।
- (v) अब अपनी यूजर आईडी प्रविष्ट करें।

क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 वर्णों की डीपी आईडी जिसके बाद 8 अंकीय ग्राहक आईडी जुड़ी हो

ग. भौतिक रूप से शेयरधारित करने वाले शेयरधारक को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए।

अथवा

वैकल्पिक रूप से यदि आप सीडीएसएल हेतु **ईएसआई/ईएसआईईएसटी** ई-सेवाओं के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपने लॉगिन विवरणों का प्रयोग करते हुए <https://www.cdsindia.com> पर लॉगिन-मायईएसआई के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। सीडीएसएल के **ईएसआई/ईएसआईईएसटी** ई-सेवाओं एक बार सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिकली रूप से सीधे मतदान के लिए ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करें।

- (vi) इसके बाद प्रदर्शित किए गए इमेज वेरिफिकेशन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- (vii) यदि आपके पास शेयर डीमैट रूप में है और आप www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपके मौजूदा पासवर्ड का ही प्रयोग किया जाना है।
- (viii) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो निम्नलिखित का पालन करें।

	डीमैट और भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमैट और भौतिक रूप से शेयर धारित करने वालों पर लागू) शेयरधारकों जिन्होंने अपना पैन कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/ आरटीए द्वारा प्रेषित क्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/ आरटीए से संपर्क करें।

लाभांश बैंक विवरण	लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी) लॉगिन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/ एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसी कि आपके डीमैट खाते में दर्ज है।
अथवा	
जन्मतिथि (डीओबी)	यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास दर्ज नहीं है तब कृपया लाभांश बैंक विवरण के खाली स्थान में (V) में दिए अनुदेशों के अनुसार सदस्य आईडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।

- (ix) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।
- (x) भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। हालाँकि, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुँचेंगे यहाँ उन्हें अपना लॉगिन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट के पात्र हैं, इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफार्म का विकल्प चुनती है। यह जोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।
- (xi) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।
- (xii) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के ईवीएसएन 210416002 पर क्लिक करें।
- (xiii) मतदान पृष्ठ पर, आपको "संकल्प विवरण" दिखेगा और मतदान के लिए उसके प्रति हॉ / नहीं विकल्प उपलब्ध होगा। इच्छा अनुसार हॉ / नहीं का चयन करें। विकल्प हॉ का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति प्रदान की और विकल्प नहीं का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति नहीं प्रदान की।
- (xiv) यदि संकल्प का सम्पूर्ण विवरण देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- (xv) संकल्प के चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर "सबमिट" पर क्लिक करना है। एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत को पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" को क्लिक करें अन्यथा अपना मत बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत बदलें।
- (xvi) एक बार अपने मत की पुष्टि करने के बाद आपको मत में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xvii) आप मतदान पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- (xviii) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो उसे फोरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा तथा वहाँ यूजर आईडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा।



May 09, 2021 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, May 11, 2021 at 5:00 p.m. (IST). During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date on Wednesday, May 05, 2021 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

- (ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iv) Click on "Shareholders" module.
- (v) Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

OR

Alternatively, if you are registered for CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, you can log-in at <https://www.cdslindia.com> from **Login - Myeasi** using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, click on **e-Voting** option and proceed directly to cast your vote electronically.

- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.

Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login.
OR	
Date of Birth (DOB)	• If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

- (ix) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (x) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xi) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xii) Click on EVSN 210416002 of Indian Overseas Bank.
- (xiii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiv) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xviii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.



(xix) शेयरधारक अपना मत सीडीएसएल के मोबाइल एप “एम – वोटिंग” के जरिए भी डाल सकते हैं। **एम – वोटिंग** एप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अपने मोबाइल पर मतदान करते हुए कृपया अपने मोबाइल पर आ रहे अनुदेशों का पालन करें।

ऐसे शेयरधारक जिनका ई-मेल एड्रेस डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, के लिए इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. भौतिक रूप में शेयर धारित करने की स्थिति में – कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे व पीछे) की स्कैनड प्रति, पैन (स्वतः प्रमाणित पैन कार्ड की स्कैनड प्रति), आधार (स्वतः प्रमाणित आधार कार्ड की स्कैनड प्रति) ई-मेल के माध्यम से investor@cameoindia.com पर प्रेषित करें।
2. डीमेट रूप में शेयर रखने की स्थिति में – कृपया डीमेट खाता का विवरण (सीडीएसएल – 16 अंकों का लाभकर्ता आईडी या एनएसडीएल 16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (स्वतः प्रमाणित पैन कार्ड की स्कैनड प्रति), आधार (स्वतः प्रमाणित आधार कार्ड की स्कैनड प्रति) ई-मेल के द्वारा investor@cameoindia.com पर प्रेषित करें।
2. **वीसी / ओएवीएम के माध्यम ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नवत है:**
 1. शेयरधारकों को ईजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने की सुविधा सीडीएसएल ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। शेयरधारक <https://evotingindia.com> पर शेयरधारक / सदस्य लॉगिन द्वारा रिमोट ई-वोटिंग विवरण का प्रयोग कर पहुँच सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम का लिंक शेयरधारकों या सदस्यों के लॉगिन, जहाँ बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा, में उपलब्ध होगा।
 2. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि बेहतर अनुभव के लिए बैठक में लैपटॉप / आइपैड के माध्यम से जुड़ें।
 3. आगे शेयरधारक को बैठक के दौरान कैमरा को अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी बाधा से बचने के लिए अच्छे स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें।
 4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लेपटॉप द्वारा हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागी उनके संबंधित नेटवर्क में उतार – चढ़ाव आने के कारण श्रव्य/ दृश्य संबंधी बाधा का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त किसी भी प्रकार गड़बड़ी से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का प्रयोग करें।
 5. शेयरधारक सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ईजीएम बैठक शुरूआत होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले या बाद में वीसी / ओएवीएम मोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता करने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1,000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगा।

इसमें वृहत्त शेयरधारकों (शेयरधारकों जिन्होंने 2 % या उससे अधिक शेयरधारण कर रखा है), प्रमोटर, संस्थान निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबन्धन कार्मिक, लेखा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारकों संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि को नहीं जोड़ा जाएगा, जिन्हें ईजीएम में बिना किसी प्रतिबंध पहले आएँ -पहले पाएँ आधार पर भाग लेने की अनुमति है।

6. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को **शुक्रवार, दिनांक मई 07, 2021** तक या उससे पहले स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने के लिए, अपना निवेदन investor@iobnet.co.in पर तथा investor@cameoindia.com को कॉपी मार्क करते हुए अपना नाम, डिमेट खाता संख्या / फोलिओ संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर भेजना है। वे शेयरधारक जो ईजीएम के दौरान बात नहीं करना चाहते हैं परंतु उनका कोई प्रश्न है, तो वे investor@iobnet.co.in पर तथा investor@cameoindia.com को कॉपी मार्क करते हुए अपना नाम, डिमेट खाता संख्या / फोलिओ संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखकर अग्रिम रूप से शुक्रवार, दिनांक मई 07, 2021 तक या उससे पहले भेज सकते हैं। बैंक द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर ई-मेल द्वारा उपयुक्त ढंग से दी जाएगी।
7. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं तथा स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किये हैं, सिर्फ उन्हीं को बैठक के दौरान अनुमति दी जाएगी।
8. इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2003 के नियम 58 के अंतर्गत वीसी / ओएवीएम के माध्यम से प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों की गिनती कोरम के उद्देश्य से की जाएगी।
3. **ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नवत है:**
 1. ईजीएम के दिन होने वाली ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए उद्भूत उपर्युक्त अनुदेश के तरह ही है।
 2. सिर्फ वे शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो रहे हैं और वे जो अपना वोट रिजाल्यूशन पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं दे पाए हैं और वे जिन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे ही ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।
 3. एक बार सदस्य द्वारा रिजाल्यूशन पर वोट कर देने के पश्चात, उसे सदस्य बाद में न ही बदल सकते हैं या न ही पुनः वोट दे सकते हैं।
 4. यदि कोई भी वोट शेयरधारकों द्वारा ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से दिया जाता है और यदि वह शेयरधारक वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में प्रतिभागिता नहीं किये हैं, तब ऐसे शेयरधारक द्वारा दिया गया वोट मान्य नहीं है जैसा कि ई-वोटिंग की सुविधा ईजीएम बैठक के दौरान उपस्थित होने वाले बैठक में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।
 5. वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किये हैं, वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। अतः वे ईजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।



- (xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app "m-Voting". The **m-Voting** app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Voting on your mobile.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. In case shares are held in physical mode- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor@cameoindia.com.
2. In case shares are held in demat mode -, please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to investor@cameoindia.com.

2. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at <https://www.evotingindia.com> under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Bank will be displayed.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
3. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. The Shareholders can join the EGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first

served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

6. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before **Friday, May 07, 2021** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in with marking copy to investor@cameoindia.com. The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance by **Friday, May 07, 2021** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in with marking copy to investor@cameoindia.com. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
 7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
 8. The shareholders attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003.
- 3. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE EGM ARE AS UNDER:-**
1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
 2. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
 3. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.
 4. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
 5. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.



अवैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट:

- अवैयक्तिक शेयरधारक (यानि वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और संरक्षक www.evotingindia.com पर लॉग इन करें और स्वयं को "कापरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करें।
- पंजीकरण फार्म की स्कैन प्रति जिस पर इकाई का स्टैप और हस्ताक्षर अंकित होता है, उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें।
- लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालित उपयोगकर्ता का सृजन करें। अनुपालित उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा, जिसके लिए वह वोट करना चाहता है।
- लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करें और खातों के अनुमोदन मिलने पश्चात, वे अपना वोट डाल सकेंगे।
- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जाँच के लिए सिस्टम पर अपलोड करें।
- वैकल्पिक रूप से, अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें संबंधित बोर्ड रिजाल्यूशन / प्राधिकरण पत्र आदि सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर उनके नमूना हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक को भेजें और यदि वे वोट वैयक्तिक टैब पर दिए हैं और सीडीएसएल ई-वोटिंग पद्धति में उसे संवीक्षक द्वारा सत्यापित करने के लिए अपलोड न किया गया हो तो बैंक को ई-मेल यानि investors@jobnet.co.in पर भेजें साथ ही कॉपी मार्क investor@cameoindia.com और rsaevoting@gmail.com को करें।

यदि आपको ई-वोटिंग पद्धति से ईजीएम एवं ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है तो आप www.evotingindia.com पर अक्सर पूछे गए प्रश्नों ("एफएक्यू") और सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या फोन पर श्री नीतीन कुंदर (022- 2305 8738) या श्री राकेश डाल्वी (022- 2305 8542) से संपर्क कर सकते हैं।

वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सुविधा से संबंधित सभी शिकायत के लिए श्री राकेश डाल्वी, प्रबन्धक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि., ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मोफटलाल मिल कंपाउंड, एन. एम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (पूर्वी), मुम्बई - 400 013 को प्रेषित करें या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें या टेलीफोन नं. 022 - 23058542/8738 पर संपर्क करें।

छ. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुरूप, इस ईजीएम के लिए शेयरधारकों के पक्ष में वोट देने या प्रॉक्सी में भाग लेने की नियुक्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि वह वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित हो रहा है। तदनुसार, इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थिति स्लिप संलग्न नहीं है।

ज. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बॉडी कापरेट ईजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने

के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और उस समय भाग ले सकता है और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकता है। संस्थान / कापरेट शेयरधारक (यानि वैयक्तिक / एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को अपने बोर्ड रिजाल्यूशन या शासकीय निकाय संकल्प / प्राधिकरण आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ / जेपीइजी प्रारूप) भेजना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने प्रतिनिधि को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से अतिरिक्त सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए आपकी ओर से और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अधिकृत करते हैं। संवीक्षक को उक्त रिजाल्यूशन / प्राधिकरण ई-मेल के द्वारा अपने पंजीकृत ई-मेल से rsaevoting@gmail.com को तथा investor@cameoindia.com एवं बैंक के ई-मेल आइडी investor@jobnet.co.in पर कॉपी मार्क करते हुए **शुक्रवार, दिनांक मई 07, 2021** तक शाम 4.00 बजे (आइएसटी) तक या उससे पहले भेज दें।

झ. पते में परिवर्तन:

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है तो, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.

(आइओबी - यूनिट)

सुब्रमणियन बिल्डिंग, प्रथम तल,

नं. 1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

टेलीफोन : 044-2846 0390 (छ: लाइनें) / 044-2846 0395

फैक्स : 044 - 2846 0129 ईमेल : investor@cameoindia.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक के पंजीकृत पते में, कोई परिवर्तन होने पर, उसकी सूचना सिर्फ संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) को देने के लिए निवेदन करते हैं।

ट) ईजीएम के दौरान हुई रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के परिणाम:

संवीक्षक, असाधारण सामान्य बैठक के ई-वोटिंग समापन के पश्चात, प्रथमतः ईजीएम के दौरान दिये गए वोट की गणना करेंगे, उसके बाद ईजीएम समापन के 48 घंटों के भीतर, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देना बंद करवाएँ, पक्ष या विपक्ष में पड़े कुल वोट की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या अध्यक्ष हो, जो उसपर प्रति हस्ताक्षर करेगा। बैंक अपने वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम के साथ ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम का भी घोषणा करेगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित करेगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

- हस्ताक्षर/-

(पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 17.04.2021



Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; at investor@iobnet.co.in with marking copy to investor@cameoindia.com and rsaevoting@gmail.com, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/8738.

g) APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to the aforesaid circulars, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders is not available for this EGM, as it is being held through VC/OAVM. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

h) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Body Corporates are entitled to appoint authorized

representatives to attend the EGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. Institutional /Corporate Shareholders (i.e. other than individuals/HUF, NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to participate in the Extraordinary General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/ Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to rsaevoting@gmail.com with copy marked to investor@cameoindia.com and to the Bank at investor@iobnet.co.in on or before 4.00 p.m. (IST) on **Friday, May 07, 2021**.

i) CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s.Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building,
V Floor, No.1 Club House Road,
Chennai – 600 002
Tel: 044 – 2846 0390 (Six Lines) / 044 – 2846 0395
Fax: 044 – 2846 0129 email: investor@cameoindia.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address only to their respective Depository Participant(s).

j) RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING EGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Extraordinary General Meeting, first count the votes cast during the EGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the EGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the EGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-Sd/-

(Partha Pratim Sengupta)
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date : 17.04.2021



अध्याय V सेबी (आई सी डी आर विनियम), 2018 के अनुसरण में किए जाने वाले अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटन

पूँजी पर्याप्तता के संदर्भ में बेसल III अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से पूँजी में वृद्धि करने की आवश्यकता है। सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों और बैंकों को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत भारत सरकार (जीओआई) ने बैंक में अतिरिक्त इक्विटी पूँजी का निवेश किया है। प्राप्त पूँजी का उपयोग बैंक की पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं की वित्तीय पूर्ति करने में किया जाएगा।

वर्तमान में बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु.25000 करोड़ है एवं बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी रु.16,436.98 करोड़ है।

- प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को भारत सरकार- बैंक के प्रवर्तक द्वारा सब्सक्राइब किया जाएगा और बैंक का कोई भी निदेशक अथवा प्रबंधन में शामिल प्रमुख व्यक्ति निर्गम को सब्सक्राइब करने की मंशा नहीं रखता है।
- भारत सरकार के अपने पत्र दिनांकित 17.03.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी निवेश के रूप में बैंक के इक्विटी शेयरों (विशेष प्रतिभूतियों / बॉण्डों) के अधिमानी आबंटन में केन्द्र सरकार के योगदान हेतु रु 4100 करोड़ (रु चार हजार एक सौ करोड़ मात्र) को जारी करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी को सूचित किया गया था। भारत सरकार ने 31.03.2021 को बैंक के आरबीआई के खाते में भी निधि जमा की है। तदनुसार, रुपए 16.63 प्रति इक्विटी शेयर (रुपए 6.63 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम दर पर 246,54,23,932 (दो सौ छियालिस करोड़ चौवन लाख तेईस हजार नौ सौ बत्तीस मात्र) इक्विटी शेयरों को निर्गम करने का प्रस्ताव किया गया है।

iii. निर्गम के पहले एवं बाद में शेयरधारिता पैटर्न निम्नवत होगा :

क्रम संख्या	प्रवर्ग	निर्गम के पहले		निर्गम के बाद	
		धारित शेयर	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित शेयर	शेयरधारिता का प्रतिशत
ए.	प्रमोटरों की धारिता : भारत सरकार	15752902638	95.84%	18218326570	96.38%
बी.	गैर प्रमोटरों की धारिता :				
	पब्लिक	684085686	4.16%	684085686	3.62%
	कुल योग	16436988324	100.00%	18902412256	100.00%

- बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2018 में निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया को पूरा करने हेतु प्रयासरत है।
- भारत सरकार को बैंक का लाभकारी स्वामित्व प्राप्त है, अतः व्यक्ति की पहचान प्रदान नहीं की जा सकती है। चूँकि निर्गम केवल भारत सरकार, मुख्य शेयरधारकों एवं प्रवर्तकों हेतु प्रस्तावित है, इसलिए नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

भारत सरकार की निर्गम के पूर्व एवं बाद की शेयरधारिता निम्नवत होगी:

विवरण	शेयरों की संख्या	पूँजी का प्रतिशत
इश्यू के पहले	15752902638	95.84%
इश्यू के बाद	18218326570	96.38%

- बैंक के इक्विटी शेयर 26 सप्ताह से अधिक अवधि के लिए सूचीबद्ध है व तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 164 (3) और 167 (5) के प्रावधान व सेबी आईसीडीआर (विनियमन) 2018 के विनियम 163 (1) (जी) व (एच) के प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।
- चूँकि सभी शेयर भारत सरकार को ही निर्गमित है, इसलिए सेबी (आईसीडीआर) विनियमन का अध्याय VI लागू नहीं है।
- निर्गम मूल्य अधिमानी शेयरों के लिए लागू विनियमन, जो सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय V के आज दिनांक तक के संशोधन के अनुसार हैं, के आधार पर निर्धारित हुआ है।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार निर्गम किया गया है, को असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
- स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीबद्धता करार में विनिर्दिष्ट इक्विटी शेयरों के सूचीकरण के निबंधनों का बैंक द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।



EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF CHAPTER V SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018

With a view to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. Government of India (GOI) has infused additional equity capital into the Bank as part of its commitment to strengthen the government owned financial institutions and banks. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

At present, the Authorised Capital of the Bank is Rs. 25000 crore and the paid-up Equity Share Capital of the Bank is Rs. 16,436.98 crore.

- a) The proposed offer of equity shares will be subscribed by GOI – the Promoter of the Bank and none of the Directors or Key Management Persons of the Bank intend to subscribe to the Issue.
- b) GOI vide their letter dated 17.03.2021 has conveyed the sanction of the President of India for release of Rs. 4100 crore (Rupees Four Thousand One Hundred Core only) towards contribution of the Central Government in the preferential allotment of equity shares (Special Securities / Bonds) of the Bank during the financial year 2020-21, as Government's investment. GOI has also remitted the funds in the Bank's RBI account on 31.03.2021. Accordingly, it is proposed to issue 246,54,23,932 equity shares for cash at Issue Price of Rs. 16.63 per equity share (including premium of Rs. 6.63 per equity share) aggregating to Rs. 4100 crore.

c) Shareholding Pattern before and after the preferential Issue will be as below:

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	Promoter's Holding:				
	GOI	15752902638	95.84%	18218326570	96.38%
B.	Non Promoter Holding:				
	Public	684085686	4.16%	684085686	3.62%
	Grand Total	16436988324	100.00%	18902412256	100.00%

- d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2018.
- e) The ultimate beneficial owner of the Bank is GOI and hence identity of natural persons cannot be provided. As the issue is proposed to be made only to GOI, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the GOI would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre Issue	15752902638	95.84%
Post Issue	18218326570	96.38%

- f. The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 164 (3) and 167 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 163 (1) (g) & (h) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 are not applicable.
- g. As all the shares are to be issued to GOI, the disclosures as specified in Schedule VI of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 is not applicable.
- h. The issue price has been determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issue as contained in Chapter V of SEBI (ICDR) Regulations as amended upto date.
- i. The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be available at the Extraordinary General Meeting.



- xi. अधिमानी निर्गम पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवर्तकों यानि भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों की लॉक इन अवधि ट्रेडिंग स्वीकृति से तीन वर्ष तक की अवधि की होगी ।
 - xii. भारत सरकार की अधिमानीय-पूर्व संपूर्ण धारिता उपयुक्त तिथि से शुरू हो कर ईकिटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त ट्रेडिंग स्वीकृति की तिथि तक छह महीने की अवधि के लिए लॉक-इन रहेगी।
 - xiii. उपयुक्त तिथि से छह महीने पूर्व की अवधि के दौरान भारत सरकार ने बैंक के कोई ईकिटी शेयर नहीं बेचे हैं।
 - xiv. भारत सरकार द्वारा सभी शेयर अमूर्त रूप में धारित है ।
 - xv. सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 व स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूची करार के सम्बन्ध में, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 109 व सेबी आइसीडीआर विनियमन 2018 के विनियम 160 के अनुसरण में अधिमानीय आधार पर शेयरों को जारी करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन लिया जा रहा है।
 - xvi. किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है।
 - xvii. बैंक के किसी भी निदेशक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया गया है ।
- नोटिस के मद संख्या 1 में विहित विशिष्ट संकल्प की संस्तुति आपके निदेशकों द्वारा की जाती है।
- बैंक के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी का संकल्प से कोई संबंध या इसमें कोई रुचि नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

- हस्ताक्षर/-

(**पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता**)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 17.04.2021



- j. The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- k. As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the promoters i.e., GOI shall be subject to a lock-in for a period of three years from the date of Trading Approval.
- l. The entire pre-preferential holding of GOI will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of Trading Approval granted by the Stock Exchange to the proposed issue of equity shares.
- m. The GOI has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- n. All the shares held by the Government of India ("GOI") are in Dematerialized mode.
- o. In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, pursuant to Regulation 109 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 160 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 approval of shareholders is being sought by way of a Special Resolution for issue of shares on preferential basis.
- p. None of the Directors/ Key Managerial Personnel have been identified as a willful defaulter.
- q. None of the Directors of the Bank have been declared as a fugitive economic offender.

Your directors recommend the Special Resolution as set out in Item No.1 of the Notice.

None of the Directors/ Key Managerial Personnel of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-Sd/-

(Partha Pratim Sengupta)
Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date : 17.04.2021